CORRIGENDUM

In the Extract of Audited Standalone Financial Result for the Quarter and Year Ended March 31, 2019 of **JDS FINANCE COMPANY LIMITED** published on 01.06.2019 in this newspaper where **financial figures heading** should be read as below:

(Rs. In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019
INSTEAD OF				
Particulars	**Quarter Ended**		**Year Ended**	
	31-03-2019	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2018**

All other particulars and details remain unchanged.
Inconvenience caused is regretted

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U65993DL1982PLC013738, ईमेल आईडी: macel1982@gmail.com
पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092
फोन नं.: 011-49901667, वेबसाईट: www.maryadainvestment.in

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों तथा उसके सर्क्युलर सं. CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक जो सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित होने के लिये निर्धारित की गई थी, अपरिहार्य कारणों से अब गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 को पुनर्निधारित की गई है जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त 1ली तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने अनंकेक्षित तिमाही तथा तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों को जमा करने का चयन किया है जो कम्पनी के सांविधिक ऑडिटरों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन होगी तथा उसके साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट संलग्न की जायेगी। लेकिन, वार्षिक वित्तीय परिणाम अंकेक्षित होंगे तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जाएंगे।

पुनः जैसा कि पूर्व में हमारी पत्र तिथि 1 जुलाई, 2019 के माध्यम से सूचित किया गया था, कम्पनी द्वारा निर्मित इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों (तथा उनके नजदीकी संबंधियों) के लिये 1 जुलाई, 2019 से कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद अर्थात् 14 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कम्पनी की वेबसाईट **www.maryadainvestment.in** तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट **www.msei.in** देखें।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
कुलदीप शर्मा
निदेशक
DIN: 06746475

तिथि: 8.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

पता: के-103, दिल्ली राजधानी अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट नं. 80, पटपड़गंज, आई.पी. एक्स्टेंशन, शकरपुर बराम्पद, पूर्व नई दिल्ली-110092

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

सूचना

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085, भारत में है, के मामले में – आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085 में 3 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में समाहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः ''बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003'' में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

कृते एवं के लिये
ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हिलोल चटर्जी
(निदेशक)
DIN: 07581543

तिथि: 10.8.2019
स्थान: दिल्ली

पता: टी-12/9ए, द ऑजोन पार्क अपार्टमेन्ट्स, साई धाम मंदिर के निकट, सेक्टर-86, भोपानी, 143, फरीदाबाद-121002, हरियाणा, भारत, सिंधी सोसायटी, मुम्बई-400071

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)

कृष्णा पार्क
ई-मेल: vb6013@vijayabank.co.in
फो.: 011-25592687/25547565

कब्ज़ा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अध्यादेश अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.06.2019 जारी कर ऋणधारक मै. गुप्ता पैकेजिंग एंड क. (प्रॉप. श्री मोहित) पुत्र श्री कृष्ण, निवासी मकान सं. 1928/147, कन्हैया नगर, गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली-110035 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 29.05.2019 को रु. 10044293/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस हजार दो सौ तिड़ानवे मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टर/मार्टगैजर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 10044293/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस हजार दो सौ तिड़ानवे मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे की राशि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय सम्पत्ति सं. 1928/147, पुराना नं. 212 (खसरा नं. 620/552, ग्राम-चौकरी, मुबारकाबाद में), गणेशपुरा-ए, त्रिनगर, दिल्ली-110035, क्षेत्रफल माप 1349 वर्ग फीट के ऊपरी भूतल की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी: उत्तर: रोड **दक्षिण: रोड**
पूर्व: सम्पत्ति सं. 1919/147 **पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति**

तिथि: 07-08-2019
स्थान: नई दिल्ली

मुख्य प्रबंधक / प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

KEI केईआई इंडस्ट्रीज लि.

पंजी. कार्यालय: डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020
CIN: L74899DL1992PLC051527
टेली: +91-11-26818840/8642, फैक्स: +91-11-26817225
ईमेल: cs@kei-ind.com, वेबसाईट: www.kei-ind.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश एवं इक्विटी शेयरों के अनिवार्य अंतरण के लिये सूचना

प्रिय शेयरधारक (कों),

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) तथा (6), निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (इस समय में लागू उसके किसी भी सांविधिक संशोधन (नों), पुनरीक्षण (णों) सहित) (यहाँ के बाद ''आईईपीएफ नियमावली वर्णित'') में अन्य बातों के अलावा ऐसे शेयरों के साथ दावा-रहित लाभांश का केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान है जिसके संदर्भ में सात वर्षों की अवधि से लाभांश अप्रदत्त रहा है।

वर्ष 2010-11 के अप्रदत्त/दावा-रहित लाभांश तथा ऐसे शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों अर्थात् 2010-11 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को पहले ही निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में जमा/अंतरित कर दिया गया है। जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2011-12 से लगातार सात वर्षों की अवधि से अपने लाभांश का दावा नहीं किये हों अथवा ऐसे शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2011-12 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है।

लाभांश पर सचिवालयी मानक (एसएस-3) के साथ पठित आईईपीएफ नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा साथ ही विवरणों जैसे ऐसे शेयरधारकों जिनके लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के नाम तथा फोलियो नं./डीपीआईडी-सीएलआईडी को निवेशक संबंध खंड के अंतर्गत अपनी वेबसाईट http://www.kei-ind.com पर अपलोड कर दिया है तथा कम्पनी ऐसे सभी शेयरों जिनके मामले में वित्त वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले पिछले लगातार सात वर्षों की अवधि से लाभांश दावा-रहित रहा है को आईईपीएफ में अंतरण की प्रक्रिया शुरू करेगी तथा वित्त वर्ष 2011-12 के अप्रदत्त/दावा-रहित लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित करेगी।

हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे अंतरित शेयरों के संदर्भ में भविष्य के कोई भी लाभांश/लाभों को भी आईईपीएफ में क्रेडिट किया जायेगा।

आईईपीएफ में शेयरों तथा लाभांश अंतरित कर दिये जाने के बाद उसके शेयरों तथा लाभांशों का दावा कर सकते हैं। एतद्द्वारा आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण के बाद कम्पनी/आरटीए के विरूद्ध कोई दावा नहीं की जा सकेगी। (आईईपीएफ नियमावली तथा रिफंड का दावा करने के लिये ई-फॉर्म आईईपीएफ-5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के आलोक में एक बार फिर से आप से अनुरोध है कि इस सूचना की प्राप्ति पर 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व मै. एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, (कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट जिसका पंजीकृत कार्यालय टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में है, के पास अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में पैन कार्ड, मूल निरस्त चेक, पते के प्रमाण, डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट द्वारा जारी क्लाइन्ट मास्टर सर्टिफिकेट तथा मूल अनएन्कैश्ड लाभांश वारंट (यदि कोई हो) अथवा सादे कागज पर विधिवत भरे गए इन्डेमिनिटी बांड (हमारी आरटीए की वेबसाईट www.masserve.com) पर उपलब्ध) की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ लिखित आवेदन जमा कर अपने अप्रदत्त/ अनएन्कैश्ड लाभांश, यदि कोई हो, का तत्काल दावा प्रस्तुत करें, अन्यथा कम्पनी आगे कोई सूचना दिये बिना इन शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी तथा उसके बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जायेंगे।

यदि आप डीमैट पद्धति में शेयरधारित करते हैं तो वह आईईपीएफ में निर्दिष्ट प्रक्रिया में आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित की जायेगी।

यदि इस विषय पर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्स से सम्पर्क करें जिसका विवरण इस प्रकार हैः

मै. एमएएस सर्विसेस लिमिटेड
टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली- 110020,
टेली.:011-26387281-83, फैक्सः 011-26387384
ई-मेलः info@masserve.com

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
किशोर कुणाल
जीएम (कॉर्पोरेट) तथा कंपनी सचिव

तिथि: 9.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या – आई एन सी – 26
सार्वजनिक सूचना
कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के तहत केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उपधारा (4) तथा कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खण्ड (ए)
तथा
ग्रिक्षित सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN : U93000UP2010PTC042596)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एफ59, पहला तल, अरोड़ा शॉपर्स पार्क, शक्ति खंड – II, इंदिरापुरम गाजियाबाद–यूपी 201012
.....याचिकाकर्त्ता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 25 जुलाई 2019 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से "कर्नाटक राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोशिएशन के ज्ञापन को परिवर्तन को पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ–पत्र द्वारा सहयोगित हो वह MCA-21 पोर्टल www.mca.gov.in पर निवेशक शिकायत फार्म भरे या रजिस्ट्रड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी–2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली – 110003 को साथ में एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो ऊपर विवरणित है पर भेजे।

ग्रिक्षित सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एफ59, पहला तल, अरोड़ा शॉपर्स पार्क, शक्ति खंड – II, इंदिरापुरम गाजियाबाद–यूपी 201012
के लिए और उनकी और से
ग्रिक्षित सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
दिनांक : 09.08.2019 नीरज रंजन
स्थान : गाजियाबाद निदेशक
डिन : 01601374
पता : जी–302, पूर्वा फेयरमोंट, 24 मेन रोड सेक्टर–2, एचएसआर लेआउट बैंगलोर 560102, कर्नाटक, इंडिया

UFLEX
'A part of your daily life'

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पामपोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048, **फोन** : +91–11–26440917, 26440925, **फैक्स** : +91–11–26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com,
इमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त 2019 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्ण
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी–001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09.08.2019

क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कम्पनी मामलो का मंत्रालय, बी–2 बिंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
तोशीबा वॉटर सॉल्यूशन्स एण्ड सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–19, कालकाजी, नई दिल्ली – 110019 स्थित है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 19 जुलाई 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्प के सदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 बिंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

डी–19, कालकाजी, नई दिल्ली – 110019

आवेदक की ओर से और उसके लिए
कृते तोशीबा वॉटर सोल्यूशन्स एण्ड सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
तिथि : 08, अगस्त 2019 हस्ता/–
स्थान : गुरुग्राम अनिल कुमार चौहान
निदेशक
डीआईएन : 05234379

ऐक्सिस बैंक — देय सूचना

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

चूंकि यहां नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथपि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनूसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने में विभिन्न प्रकार की चुकें कर चुके है। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत आधिकारी के अनुशंगानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालनुसार वहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं नियमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/ जमानतकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भुगतानकर तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणी/सह–ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
श्री शिवम श्रीवास्तव (कानूनी प्रतिनिधि) पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी 91/2 विजय पार्क विस्तार, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001 **एवं** : म0 नं0–69 यूसुफाजई–2, पुलिस स्टेशन–कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601 **श्री शक्ति श्रीवास्तव (सह–ऋणी)**पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव म0 नं0–69 यूसुफाजई–2, पुलिस स्टेशन–कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601	स्थित म0नं0–69 यूसुफाजई–2, पुलिस स्टेशन–कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन–212601 **क्षेत्रफल–117 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व** : खडंजा, **पश्चिम** : रास्ता 10 फुट, **उत्तर** : ओम प्रकाश का मकान, **दक्षिण** : जगदीश का मकान	रू.20,60,927.24 दिनांक 01.05.2019 तक ब्याज 02.05.2019 तक + अन्य खर्चे **एनपीए दिनांक : 01.05.2019** **देय सूचना की तिथि 16.07.2019** **ऋण धनराशि : रू. 19,00,000.00**

उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानतकर्ताओं(जहाँ कही लागू हों) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथालागू प्रभारों के साथ उपर्युक्तानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरांत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरूद्ध आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पित्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा।

ऋणी/सह–ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 10.08.2019, स्थान : लखनऊ **(प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0**

KUMAR FOOD INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 71/1, Siraspur, Delhi-110042
E-mail ID: cs@kumarfood.com Web: www.kumarfood.com CIN: L15310DL1991PLC043456

UN-AUDITED QUATERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30.06.2019 (Amount in ₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Quarter Ending June 30, 2019 Un-Audited	Quarter Ending June 30, 2018 Un-Audited	Quarter ended March 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2018 Audited
1.	Total Income from Operations	8,087.50	6,797.35	6,298.47	27,977.12	10,522.92
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	7.21	29.94	57.88	25.02	28.63
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.21	29.94	57.88	25.02	28.63
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.21	29.94	39.99	133.52	28.61
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.21	29.94	39.99	135.77	29.44
6.	Equity Share Capital	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				868.33	714.12
8.	Earnings Per Share (equity share of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:	0.24	1.00	1.33	4.45	0.95
	2. Diluted:	0.24	1.00	1.33	4.45	0.95

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (URL of the filings).

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For and on behalf of
Kumar Food Industries Limited
Sd/-
Dharminder Joshi
Director

Date : 09.08.2019
Place: Delhi

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता सिविल–7
राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007
निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियंता, सी–7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए आमंत्रित की जाती है।

एनआईटी नं.: 42/ ईईसी–7/ डीयूएसआईबी/ 2019–20
कार्य का नामः निर्मित सुविधाएं प्रदान करना
उप शीर्षकः मुकेम पुरा, मलका गंज में सामुदायिक हॉल का उन्नयन। (पीआईडी नं. 12002)
अनुमानित लागतः रु. 30,48,588.00
धरोहर राशिः रु. 61,000.00
निविदा मूल्यः रु. 500.00
समय अवधिः 90 दिन
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 19.08.2019 को अप. 15.00 बजे तक
खोलने की तिथिः 19.08.2019 को 15.30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाइट **http://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हस्ता./-
राजेन्द्र बंसल
कार्यपालक अभियन्ता/सी–7
डीयूएसआईबी

DIP/Shabdarth/0506/19-20

एलोफिक इंडस्ट्रीज लि.

CIN: L74999HR1973PLC070262
पंजी. कार्यालय: 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरि. 121003
ईमेल: enquiry@elofic.com

आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष) में एलोइक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऐसे शेयरों का अंतरण जिस पर लगातार 7 वर्षों से लाभांश अप्रदत्त/दावा-रहित है
(निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के लिये)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, आडिट, अंतरण तथा